क्रमांक 12/90/91-2जी.एस. 1

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला, हिसार, रोहतक एवं गुड़गांव मण्डल
2. सभी उपायुक्त एवं सभी उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा।
3. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय।

दिनांक, चण्डीगढ़ 20 जनवरी, 1992

विषय :–लिपिकों/टाईपिस्टों के पदों को भरना।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 12/59/80-2जी.ए दिनांक 24.5.1990 की ओर दिलाऊं जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक लिपिक के लिए हिन्दी तथा अंग्रेजी भाष क्रमश: 25 तथा 30 शब्द प्रति मिन्ट की गति से टाईप टैस्ट पास करना अनिवार्य होगा। इसके बाद परिपत्र सम क्रमांक दि 8.7.1991 में यह कहा गया था दिनांक 24.5.90 से पहले नियुक्त जो लिपिक दोनों भाषाओं में निर्धारित र टाईप टैस्ट पास करेगा उसे एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी।

2. इस बारे में कुछ विभागों द्वारा कई प्रश्न उठाये गये हैं जिन्हें जांचा गया है। उनके बारे में स्थिति प्रकार से स्पष्ट की जाती है:—

1. यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या जिन लिपिकों को तदर्थ आधार पर वेतन वृद्धियां प्रदान की थी तथा वे दिनांक 24.5.90 के बाद नियमित हुए हैं उनकी वेतन वृद्धियां रोकी जानी है।

   ऐसे केसों में दोनों भाषाओं में टाईप टैस्ट पास करने की निर्धारित अवधि समाप्त हों आगे की वेतन वृद्धि रोक दी जाये तथा वेतन वृद्धियां तभी release की जायें जब दोनों भाषा टाईप टैस्ट पास कर लें।

2. विभाग के सेवा नियमों में एक भाषा के टाईप टैस्ट की शर्त है और कुछ लिपिक दिनांक 24. के बाद भी नियुक्त किए जा चुके हैं परन्तु उनके नियुक्ति पत्रों में दोनों भाषाओं की शर्त नहीं गई।

   हिदायतों के अनुसार नियुक्ति पत्रों में दोनों भाषाओं की शर्त लगाना आवश्यक है। यदि नहीं किया जाता तो संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाये। सभी वि में एकरूपता बनाये रखने के लिए ऐसे कर्मचारियों के लिए भी दोनों भाषाओं में टाईप टैस्ट पास कर शर्त लगा दी जाये तथा सेवा नियमों में तदनुसार प्रावधान कर लिया जाये।

3. जो कर्मचारी नियमित आधार पर नियुक्त हों तथा दिनांक 24.5.90 के बाद दूसरे विभाग में होने पर या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त किए जाते हैं क्या ऐसे लिपिकों के लिए दोनों भाषाओं में टैस्ट पास करना आवश्यक है।

   जो कर्मचारी दिनांक 24.5.90 से पहले नियमित तौर पर कार्य कर रहा था ऐसे के उक्त शर्त लागू नहीं होगी।

4. अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ किस तिथि से दिया जाना है।